राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना,
(राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेंश एजेन्सी)
वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर
email: pd.rghs@rajasthan.gov.in jpd.vig.rghs@rajasthan.gov.in

F.11(374)/RGHS/Vig/Pharma guideline/959 Date 24-04-2025

आरजीएचएस के अन्तर्गत अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स एवं कॉनफैड हेतु आवश्यक ध्यान दिये जाने योग्य बिन्दु

1. आरजीएचएस के अन्तर्गत अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स एवं कॉनफैड स्टोर्स से यह अपेक्षित है कि बिल उसी के नाम से बनाया जाए जिसके नाम ओपीडी पर्चा है।
2. मेडिकल शॉप द्वारा बिल में स्टोर का पूर्ण नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित किया जाए।
3. आरजीएचएस कार्डधारक/लाभार्थी को आरजीएचएस के अन्तर्गत देय दवाईयां उपलब्ध करावें। पर्चे पर Non - Payable दवाईयां लिखी होने पर लाभार्थी को स्पष्टतः उसके बारे में अवगत करावें।
4. किसी दवाई का पेटेंट समाप्त हो गया है तो उस स्थिति में आरजीएचएस को उस दवाई के बारे में अवगत करावें ताकि लाभार्थी को किफायती दर पर दवाईयां उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जा सके।
5. सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सक / पीजी रेजीडेंट डॉक्टर की पर्चियों पर दवाईयां नहीं दी जा सकेंगी। दवाईयां सेवारत राजकीय चिकित्सक या निजी अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक की पर्चियों पर ही उपलब्ध करायी जा सकेगी।
6. आरजीएचएस में Artificial Intelligence (AI) द्वारा ओपीडी फार्मा बिल्स की जांच में यह देखने में आया है कि एक ही ओपीडी पर्चे का उपयोग कर अनेक बिल्स में इस्तेमाल कर दुरूपयोग किया गया है। समस्त निजी एवं कॉनफेड स्टोर्स को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों में फार्मा स्टोर स्वयं पैनल्टी हेतु / सस्पेंशन / डी – एमपैनलमेंट हेतु जिम्मेदार होगा।
7. ओपीडी पर्चा (Prescription) भली भांति एवं पूर्ण जांच कर लें कि Prescription फार्मेट अनुसार एवं सही प्रिस्क्रिप्शिन अपलोड किया गया है एवं अन्य दस्तावेज Prescription के स्थान पर अपलोड न किया गया हो।
8. आरजीएचएस में देय जेनेरिक दवाईयों पर 40 प्रतिशत डिस्काउण्ट दिया जाना सुनिश्चित करें।
9. आरजीएचएस में अनुमोदित निजी एवं कॉनफेड फार्मा स्टोर्स द्वारा केवल उन्हीं ओपीडी पर्चे पर दवाईयां दी जाएंगी जिसकी टीआईडी कार्डधारक / लाभार्थी की स्वयं की एसएसओआईडी द्वारा ही जनरेट की गयी हो।
10. ध्यान दें कि लाभार्थी द्वारा ओटीपी देने के पश्चात् ही दवाईयां एवं बिल की प्रति लाभार्थी को दिया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid
Digitally signed by Shipra Vikram
Designation : Project Director
Date: 2025.04.24 22:18:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14916556

11. निकट भविष्य में यदि आरजीएचएस के तहत लाभार्थी द्वारा राजकीय (सेवारत) / निजी अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक के आवास पर परामर्श प्राप्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में परामर्शदाता चिकित्सक द्वारा स्वयं की एसएसओआईडी से उस ओपीडी पर्चे को आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा जो देय दवाईयां दिये जाने के लिए मान्य होगा। उक्त परिवर्तन शीघ्र आरजीएचएस के तहत लागू किया जाएगा।

12. ध्यान दें कि ओपीडी स्लिप निर्धारित आरजीएचएस फॉर्मेट में हो। ओपीडी स्लिप के संदेहास्पद होने अथवा कूटरचित होने पर उसका ठीक से सत्यापन कर लें ताकि आपको उसका भुगतान प्राप्त होने में विलम्ब और दिक्कत न हो।

13. ऐसी दवाओं को बिल में शामिल न करें जो पर्चे में प्रिस्क्राइब्ड न की गयी और जो आरजीएचएस के अन्तर्गत देय न हो। AI विश्लेषण में सामने आने पर वसूली और आपके फार्मा स्टोर के आरजीएचएस में अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

14. विभाग द्वारा नॉन–आरजीएचएस दवाईयों के डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है, डेटाबेस के अद्यतन होने तक आप स्वयं के स्तर पर सावधानी बरतें और प्रयास करें कि नॉन – प्रिस्क्राइब्ड और नॉन – आरजीएचएस दवाईयां बिल में सम्मिलित न हो पाएं।

15. सुपर स्पेशियलिटी दवाएं देते समय ओपीडी पर्चे की विशेष रूप से जांच करें कि डॉक्टर द्वारा उपयुक्त प्रकार से प्रिस्क्राइब्ड किया गया है और पर्चा आरजीएचएस फॉर्मेट में है और कूट रचित नही है।

कृपया इसे छपवाकर सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करें।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक, आरजीएचएस

Signature valid
Digitally signed by Shipra Vikram
Designation : Project Director
Date: 2025.04.24 23:18:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14916556